न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 04 / 2024

अनवान : –

1. निर्मल सिंह पुत्र जन्टासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गुरचरणसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
2. चन्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
3. जरनेलसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
4. जसवन्तसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
5. सरजीत पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल स0 5**

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 34 / 30 की कुल 6.8310 हैक्ट व 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 39 / 33 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 160 / 146 की कुल 6.0720 हैक्ट अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी के पिता जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीसंख्या 29 व 30 जायज वारिस है जिनका जन्टासिंह की भूमि में बहिब हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें गैरसायल के नाम दर्ज हिस्सा गलत दर्ज कर रखा है तथा चक 26 डीपीएन की जमाबंदी में गैरसायल के पिता का नाम भी गलत दर्ज कर रखा है। गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम हिस्सा गलत तौर से दर्ज होने के का नाजायज फायदा उठाकर समस्त भूमि तथा हिस्से से ज्यादा भूमि बेचना करना चाहते है यदि गैरसायल अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 34 / 30 की कुल 6.8310 हैक्ट व 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 39 / 33 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 160 / 146 की कुल 6.0720 हैक्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 34/30 की कुल 6.8310 हैक्ट व 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 39/33 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 ता 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 की तरफ से श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता उक्त वाद भूमि मे रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि में गैरसायल का हिस्सा गलत है एवं एवं गैरसायल के पिता का नाम भी गलत दर्ज कर रख है उक्त के संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया है कि गलत हिस्से किस प्रकार से दर्ज हुए है व सायल को अपूर्णीय क्षति क्या है सायल द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है प्रार्थना पत्र मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में अप्राथीगण के हिस्सा एवं अप्रार्थीगण के पिता का नाम भी गलत दर्ज है। हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा उक्त वाद भूमि का बेचना करना चाहते है जिससे अपूर्णीय क्षति सायल को होगी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि मे रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि में गैरसायल का हिस्सा गलत है एवं एवं गैरसायल के पिता का नाम भी गलत दर्ज कर रख है उक्त के संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया है कि गलत हिस्से किस प्रकार से दर्ज हुए है व सायल को अपूर्णीय क्षति क्या है सायल द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है प्रार्थना पत्र मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हिस्सा सही है या गलत मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको [illegible] है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 34/30 की कुल 6.8310 हैक्ट व 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 39/33 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि में गैरसायल का हिस्सा गलत है एवं एवं गैरसायल के पिता का नाम भी गलत दर्ज कर रख है लेकिन प्रार्थी द्वारा गलत हिस्सा व गैरसायल के पिता के गलत नाम के संबंध में कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नही किया गया है जबकि अप्रार्थीगण वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested